Research Paper | Education | E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 10 | Issue : 4 | April 2024



पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक भूमिकाः एक अवलोकन

डॉ. जयश्री रणसिंह

सहायक प्राध्यापक, शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़, भारत

ABSTRACT

भारत में प्राचीन समय से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर काम किया है। भारतीय महिलाएं चाहे वह शहरी क्षेत्र की हो या गांव की, सहयोग और विकास कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती रहीं है। भारत में महिलाओं की विशाल संख्या अधीनता तथा उपेक्षित वर्ग का जीवन बिता रहीं है। हमारे देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं है। अतः देश का समग्र विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक आधी आबादी को समुचित प्रतिनिधितव नहीं प्राप्त हो जाता है। हालांकि महिलाएं अब भी बड़ी संख्या में आर्थिक एवं राजनैतिक कियाकलापों तथा परिवर्तन की प्रकिया में भाग ले रहीं है, पर वास्तव में उन्हे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। स्थानीय शासन की इकाईयों में ऐसा बहुत कम ही होता है कि ग्रामीण महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपने बलबूते पर ही निर्वाचित हो। जबकि अधिकांश रूप से यह देखा जाता है कि जो महिला प्रतिनिधि निर्वाचित होती हैं उसमें उनके परिवार के पुरूषों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न सामाजिक–आर्थिक रुकावटों के कारण महिलाओं को समाज में छोटा दर्जा प्राप्त है। महिलाओं द्वारा अनौपचारिक राजनैतिक कियाओं में तीव्र वृद्धि के बावजूद राजनैतिक संरचना में इनकी भूमिका वास्तव में अपरिवर्तित रही है।

KEYWORDS: महिला प्रतिनिधि, महिला आरक्षण, पंचायतीराज व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक भूमिका, विकसित समाज।

भूमिका

भारत में नारी की स्थिति के संबंध में हम यह देखते हैं कि उन्हे समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है और उन्हे पुरुष के समकक्ष नहीं समझा जाता। वर्तमान समय में हम प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, स्त्रियों ने पढ़ लिख कर कुछ विशेष स्थानों पर तथा पदों पर पुरुषों की बराबरी कर ली हो कितु उनका विषय इतना कम है कि वह अव्हेलना का शिकार होती रहती हैं। ईश्वर ने एक ही मनुष्य बनाया जिसके अंतर्गत स्त्री व पुरुष दोनों आते हैं परंतु हमारे समाज में मनुष्य का मतलब पुरुष को ही समझा है। संसार की तरक्की नारी के विकास पर निर्भर है। उसे हर क्षेत्र में बढ़ावा देना सहभागिता व सक्रियता जैसे शब्दों को साकार कर देने में ही देश का भला हो सकता है उसे अपमानित कर के नहीं। महाभारत में भी कहा गया है '' वह अर्धांगिनी बनकर व्यक्ति को सम्पूर्ण करती है। आज नारी डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, शिक्षिका के अलावा देश की व्यवस्था भी चला रही है। रक्षा के क्षेत्र मे आज नारियां विशेष भूमिका निभा रही है जो कि देश की आन्तरिक व बाह्य सुरक्षा की दृष्टि में अपनी विशेष क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। पूर्व विदेशमंत्री स्व. सुषमा स्वराज, वित्तमंत्री व पूर्व रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण आदि देश का गौरव बन रहीं है।

प्राचीन काल में प्रशासन

प्राचीन भारत से ही भारत में ग्रामीण प्रशासन प्रचलित था। रामायण महाभारत काल के साहित्य में सभाओं, समितियों तथा गांवों का उल्लेख मिलता है। प्रो0 अल्तेकर के अनुसार अति प्राचीन काल से ही भारत मे ग्राम शासन व्यवस्था की धुरी रहे हैं। त्रीस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद् की स्थापना की गयी है। पंचायती राज व्यवस्था के नवीन स्वरुप को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मान्यता मिल जाने के पश्चात् 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में सर्वप्रथम इसे लागू किया गया। मेघालय तथा नागालैण्ड को छोड़कर सम्पूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जा चुकी है।

समय के साथ यह व्यवस्था दम तोड़ने लगी थी परंतु 73वें संविधान संशोधन पंचायंती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने में एक क्रांतिकारी कदम है। ग्रामीण विकास एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को बनाये रखने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं को स्वसयत्तशासी व आत्मनिर्भर बनाया गया है। पंचायतों को ऐसी शक्तियां व अधिकार दिये गये हैं जिससे वह गांव की जनता को आर्थिक एवं सामाजिक समानतां व न्याय प्रदान कर सके। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ग्राम सभाओं को मान्यता एवं महत्व देकर भारत के लोकतंत्र में एक नया आयाम जोड़ा है। इस अधिनियम के अंतर्गत् कर्नाटक, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में क्रमशः 1993 तथा 1994 में पंचायती राज पर नये अधिनियम पारित किये। इसप्रकार वर्तमान में देश के अन्य राज्यों में भी इसकी सार्थक क्रियान्विति की गई।

भारतीय नारी के लिए यदि कोई काल सबसे अधिक विडंबनापूर्ण रहा हो तो वह मध्यकाल था। दरअसल मध्यकाल शब्द कालवाचक तो है ही उसके पीछे बहुत से निहितार्थ छिपे हुए हैं। इस काल में परंपरा और रुढ़ि दोनों ही हावी थे और समाज में प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं क्योकि इस दौर में मुसलमानों के अनेक आक्रमण हुए और इस्लाम की छाया से आक्रांत करना आरंभ कर दिया था, इसलिए भानत में सुरक्षात्मक नीति को अपनाया गया इसका सबसे दुखद और भयावह प्रभाव नारियों पर पड़ा। पर्दाप्रथा, लिंगभेद, बालविवाह, दहेज प्रथा, आदि नारी की अस्मिता को खरोंच कर रख दिया। इसके पश्चात् अंग्रजो के आगमन ने शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपने औपनिवेशिक हितों के लिए इस्तेमाल किया किंतु भारतीयों को निश्चय ही इसका लाभ मिला। शिक्षा का प्रसार हुआ जिसनें भारतीय समाज में स्थापित कुरीतियों और रूढ़ियों के विरोध की क्षमता भी प्रदान की। धीरे धीरे नवजागरण का काल आया तत् पश्चत् महिलाओं के उत्थान के कार्य होने लगे और नारी गृहस्थ जीवन से एक कदम आगे बढ़ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सहभागिता देने लगी, तथा देश को संचालित करने में अपना योगदान दे रहीं है।

विगत 50 वर्षों में महिलाओं की भागीदारी पर अनेक अध्ययन हुए हैं, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों में उनकी परिस्थितियों में समानताओं और विभिन्नताओं के विषय में अनेक जानकारियां मिली है। जिसमें विभिन्न कुरीतियां आज भी नारी विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ी रूकावट है, जो

कि उत्तर भारत में अधिकांशतः घूंधटप्रथा के रूप में आज भी विद्यमान है, जबकि दक्षिण भारत में महिलाएं घूंघट नहीं डालती परंतु पुरुषों के उतनी ही अधीन है जितनी की उत्तर भारत में। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त होने के अवसर दिये जा रहे हैं। पंचायती राज के माध्यम से आज ग्रामीण और शहरी अंचल की महिला सशक्त होती जा रही हैं, किंतु उनकी राजनीतिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। किसी भी समाज की श्रेष्ठता या हीनता का निर्णय उस समाज की महिलाओं की स्थिति से होता है। यहां महिला की स्थिति से तात्पर्य समाज में महिलाओं का स्थान, उनके सम्मान, उनके गौरव, उनकी प्रतिष्ठा, तथा उस समाज में पुरुषों की तुलना में उनकी दशा से है। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है परन्तु यह सुधार बहुधा शहरी क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति में आया है। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में अधिक सुधार दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। पंचायतों में महिला आरक्षण मिलने के पश्चात् महिलाएं चाहे वह किसी भी राज्य, जाति, वर्ग, या धर्म की हों जब उनसे पूछा जाता है कि तो उनका यही उत्तर आता कि पंचायत में महिला आरक्षण है तो उनके पति ने नामांकन भरवा दिया है। इनमें से कुछ महिलायें घर घर जाकंर प्रचार भी कीं और बहुत सी महिलाएं घर पर ही रहीं, उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य वोट मांगनें गए।

संवैधानिक उपबंध

भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त होने के अवसर दिये जा रहे हैं। पंचायतीराज के माध्यम से आज शहरी अंचल की महिलाओं के अलावा ग्रामीण महिलाएं भी सशक्त होती जा रहीं है। किंतु उनकी राजनीतिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। क्योंकि इस समाज के निर्माण में स्त्री–पुरुष दोनों का योगदान होता है। अतः महिलाओं को हम हीनता की स्थिति रखकर देश को प्रगति के राह पर ला ही नहीं सकते। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास में आने वाली बाधाओं और अवरोधों को दूर कर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके व विकास की प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो और उनकी सक्रिय भागीदारी को सम्मान मिल सके। महिलाओं को सशक्त एवं सक्रिय बनाने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तथा मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप में उल्लेख किया गया है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं कों 33 प्रतिशत का आरक्षण के रूप में स्थानीय स्वशासन में भाग लेने के लिए दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश जागरुकता व शिक्षा के अभाव में विशेषकर ग्रामीण परिवेश की अधिकांश महिलाएं अपनी राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखती है, जो इस बात को इंगित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं राजनैतिक क्षेत्र में अभी भी जागरुकता की कमी है। यही कारण है कि दहेज, हत्या, घरेलु, हिंसा इत्यादि से महिलाओं की रक्षा करने हेतु अनेकों कानून बनाये गये। स्वतंत्रता के पश्चात् महिलााओं की भागीदारी को हर क्षेत्र में अनिवार्य समझा गया। इसलिए विभिन्न स्थानीय तथा राष्ट्रीय चुनावों में महिलाओं ने हिस्सेदारी लिया, पर महिलाओं का सक्षरता प्रतिशत कम होने के कारण प्रायः महिलाएं अपने परिवार के पुरुषों के अनुरूप मतदान करते देखी गयी है। प्रायः महिलाओं के लिए राजनैतिक व आर्थिक आरक्षण की मांग उठती रही है। इसका कारण सम्भवतः यही है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का संसदीय प्रतिनिधित्व, राज्य व पंचायत स्तरों पर प्रतिनिधित्व बहुत कम है। स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान संशोधित किया गया। इस संबंध में गांधीजी ने कहा था कि सच्चे लोकतंत्र को केन्द्र में बैठे व्यक्ति नहीं चला सकते, इसे प्रत्येक गांव के निचले स्तर के लोगों द्वारा ही चलाया जा सकता है।

महिलाओं की सहभागिता एवं समस्याएं

पूरी देश में पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है किंतु यह तर्क भी ध्यान देने योग्य है कि विधानमात्र से बदलाव नहीं लाया जा सकता है भारतीय समाज का ढ़ांचा इस प्रकार का है कि महिलाओं को हमेशा दबाकर रखा गया था, अतः निरक्षरता, आर्थिक निर्भरता, परम्परा के बंधन को तोड़ पाना मुश्किल होते हुए भी जरूरी था। नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एवं योगदान में क्रियांन्वयन के स्तर पर कई समस्याएं उजागर हुईं है, इनका विश्लेषण निम्न रूपों में किया जा सकता है। हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, और महिलाओं भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं में देखने को मिलता है। वर्तमान में उत्तराखण्ड, बिहार, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यह सही है कि उनके मार्ग में पूरे देश में जटिल समस्याएं हैं जो निम्नलिखित है –

1. शिक्षा का अभाव
2. पारिवारिक समस्याएं
3. सामाजिक समस्याएं
4. जातीय व्यवस्था
5. वित्तीय व्यवस्था
6. प्रशिक्षण का अभाव
7. महिला के प्रति होने वाली हिंसा

महिलाओं की भागीदारी को कारगर बनाने के प्रयास

पंचायत के कार्य में स्त्रियों की विशेष भूमिका चिन्हित की जाए ताकि दूसरों का दखल उसमें न हो। प्रारंभ मे महिला प्रतिनिधियों को वही कार्य अधिक दिये जायें जिनमें उनकी नैसर्गिक रूचि हो और जिन्हे वे आसानी से कर सकें। ऐसे कुरीतियों को दूर करने की पहल की जाये जिनका सीधा संबंध महिलाओं से हो। पंचायत प्रतिनिधियों विशेषकर महिला प्रतिनिधियों को अपने काम को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिये उनके शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम और ग्रामीण कार्यक्रमों की जानकारीयां दी जायें तथा महिलाओं के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर चलानें चाहिए जिनके द्वारा वे अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रख सके और उनका समाधान कर सके ।

आज के इस तीव्रगति से बदलते युग में सूचना का आदान–प्रदान शीघ्र और अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पंचायत के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को पंचायत से सम्बन्धित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचानी चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर वे उपलब्ध हो सके। महिला प्रतिनिधियो के लिये यह और भी आवश्यक है क्योकि उनकी गतिशीलता और बाहरी जन–संपर्क पुरुषों की अपेक्षा कम ही हो पाता है।

पंचायतों के कार्य में भागीदारी

पंचायतो की निर्वाचित प्रतिनिधियों को अनेकों प्रशासनिक कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना होता है। कुछ महिला प्रतिनिधियों ने माना कि उन्हे इन कार्यों को करने में कोई कठिनाई नहीं होती जबकि अधिकांश महिला प्रतिनिधियों को कार्यों को करने में कई तरह की कठिनाईयों का अनुभव होता है। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने, ग्राम पंचायतों की नियमित बैठकों के होने तथा समुचित संचालन आदि के लिए ग्राम सभा में पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। यह देखा जाता है कि ग्राम पंचायत की बैठके नियमित हो रही है या नही, बैठकों में गांव के लोगों की भागीदारी कितनी होती है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ग्राम पंचायत की सहभागिता कितनी है, भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में कितनी भागीदारी कितनी होती

है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए समय समय पर पंचायतों के कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, वर्कशाप, सम्मेलन, बैठकें आदि कराये जाते हैं, जिसमें वह भागीदारी करती हैं। इस प्रकार महिलाओं प्रशिक्षण देकर पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतों को सशक्त बनाकर ही देश को मजबूती प्रदान की जा सकती है। पंचायतों में महिलाओं के शामिल होने से लड़ाई झगड़े होने की संभावना क्षीण होने लगी है, इसलिये विलम्ब और अविश्वास से बचने के लिये कार्यप्रणाली में बदलावलाना आवश्यक है, तथा आपसी मेलजोल और समन्वय का मार्ग अपनाना चाहिए।

पंचायतों की निर्णय प्रक्रिया में भूमिका

पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधि बैठक की कोरम के आधार पर हमेशा निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती हैं अर्थात् स्वयं सभी विषयों पर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेती है। यह महिलाओं की सशक्तिकरण को दर्शाता है। परंतु अधिकांश महिला अपने कार्यों व अधिकारों के प्रयोगों से सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती ही नहीं है। उनके अधिकारों का प्रयोग उनके पुरुष परिवारजनों द्वारा किया जाता है। वह केवल मुहर लगाकर हस्ताक्षर करने का कार्य कर रहीं है, जो एक चिंतनीय विषय है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें नेतृत्व की कमान जो सौंपी गयी किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। उन्हे व्यवस्था में तो भागीदारी मिल गयी है, लेकिन वह प्रशिक्षित नहीं है। यही कारण है कि वह पंचायती व्यवस्था में नियोंजन का अंग नहीं बन पा रहीं है। राजनीतिक अनुभव की कमी के कारण महिलाएं पुरुषों पर ही निर्भर रहीं है। आरक्षण से महिलाएं प्रधान तो बन गयीं पर अधिकतर निर्णयकारी शक्ति अभी भी पुरुषों के हाथ में ही है।

निष्कर्ष

पंचायतीराज सत्ता का विकेन्द्रीकरण की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आम आदमी के द्वारा अपने ग्राम स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में भाग लेना है। निष्कर्ष के रुप में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जागरुकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखण्ड, केरल आदि अन्य राज्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। आज पंचायती राज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि इसने महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण किया है। इसके अलावा महिलाएं स्वयं जागरुक एवं शिक्षित होकर अपने अधिकारों के महत्व को समझ कर यदि उनका प्रयोग करती है और आगे बढ़कर अपनी भूमिका को सशक्त बनाती हैं , तभी पंचायती राज में उनके 50 प्रतिशत आरक्षण का वस्तविक अर्थ साकार होगा वर्ना केवल संख्यात्मक वृद्धि से उनकी स्थिति में गुणत्मक सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि 50 प्रतिशत आरक्षण द्वारा महिलाओं को नेतृत्व की कमान तो सौंपी गई है परंतु खुले तौर पर वे पराधीन हैं।

संदर्भग्रन्थ सूची

1. अल्तेकर ए.एस., प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ0 170—172
2. त्रिपाठी राजमणि, पंचायतीराज व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण 2001 पृ0 13
3. सिंह निशांत, पंचायतीराज और महिलाएं, दिल्ली पृ0 08
4. कौशिक आशा, नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, 2007,पृ0 123
5. कुमार मनीष, ग्रामीण विकास में पंचायतीराज की भूमिका, 2007 पृ0 27
6. सोलंकी ललिता, महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं पंचायती राज पृ0 46
7. गुप्त विश्वनाथ, भारत में पंचायतीराज, सुरभि प्रकाशन, दिल्ली पृ0 19